

गन्ना खरीद भुगतान प्रणाली के घटकों का मूल्यांकन एवं विश्लेषण

Monu Nagar

Research Scholar, Chaudhary Charan Singh University Meerut

Dr. Swati Sharma

Assistant Professor, Chaudhary Charan Singh University, Meerut UP

सार

भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में गन्ना एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है, जिसमें लाखों कृषकों की आजीविका प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। गन्ना खरीद भुगतान प्रणाली किसानों और चीनी मिलों के बीच आर्थिक संबंधों की रीढ़ मानी जाती है। इस शोध का उद्देश्य गन्ना खरीद भुगतान प्रणाली के प्रमुख घटकों का मूल्यांकन एवं विश्लेषण करना है, जिससे भुगतान प्रक्रिया की प्रभावशीलता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता को समझा जा सके। अध्ययन में गन्ना मूल्य निर्धारण तंत्र (एफआरपी/एसएपी), तौल एवं गुणवत्ता मापन प्रणाली, खरीद अनुबंध, भुगतान माध्यम (प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण, डिजिटल भुगतान), भुगतान की समय सीमा तथा संबंधित कानूनी एवं नीतिगत प्रावधानों का विश्लेषण किया गया है। शोध में प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग करते हुए यह मूल्यांकन किया गया कि किस प्रकार देरी, प्रक्रियात्मक जटिलताएँ तथा प्रशासनिक कमियाँ किसानों की आय और विश्वास को प्रभावित करती हैं। अध्ययन के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि डिजिटल भुगतान प्रणालियों, बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार और निगरानी तंत्र में सुधार से भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं कुशल बनी है, किंतु कुछ क्षेत्रों में अब भी भुगतान विलंब और सूचना असमानता जैसी समस्याएँ विद्यमान हैं। यह शोध गन्ना खरीद भुगतान प्रणाली को अधिक किसान-हितैषी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने हेतु नीतिगत सुधारों एवं तकनीकी हस्तक्षेपों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

मुख्य शब्द: चीनी उद्योग राज्य परामर्शित मूल्य

परिचय

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ गन्ना एक प्रमुख नकदी एवं औद्योगिक फसल के रूप में विशेष स्थान रखता है। गन्ने का उत्पादन न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है, बल्कि चीनी उद्योग, गुड़-खांडसारी, इथेनॉल उत्पादन तथा सह-उत्पादों के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। देश के करोड़ों कृषक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गन्ना उत्पादन एवं उससे जुड़े उद्योगों पर निर्भर हैं। ऐसे में गन्ना खरीद एवं उसके भुगतान की प्रणाली किसानों की आय, जीवन-स्तर और आर्थिक सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। गन्ना खरीद भुगतान प्रणाली वह तंत्र है जिसके माध्यम से चीनी मिलें अथवा क्रय एजेंसियाँ किसानों से गन्ना खरीदकर उन्हें निर्धारित मूल्य का भुगतान करती हैं। इस प्रणाली में गन्ना मूल्य निर्धारण (जैसे—उचित एवं लाभकारी मूल्य/एफआरपी तथा राज्य परामर्शित मूल्य/एसएपी), तौल व्यवस्था, गुणवत्ता परीक्षण, खरीद अनुबंध, भुगतान का माध्यम तथा भुगतान की

समय-सीमा जैसे कई घटक सम्मिलित होते हैं। यदि इनमें से किसी भी घटक में असंतुलन या कमी होती है, तो उसका सीधा प्रभाव किसानों की आय, ऋणग्रस्तता और विश्वास पर पड़ता है। विगत वर्षों में यह देखा गया है कि यद्यपि सरकार द्वारा गन्ना मूल्य निर्धारण एवं भुगतान से संबंधित अनेक नीतियाँ और कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं, फिर भी व्यवहारिक स्तर पर भुगतान में विलंब, अपारदर्शिता, तकनीकी समस्याएँ तथा प्रशासनिक बाधाएँ बनी हुई हैं। विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए समय पर भुगतान न मिलना आर्थिक संकट का कारण बनता है। इसी संदर्भ में डिजिटल भुगतान, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और ऑनलाइन निगरानी प्रणालियों को लागू किया गया है, ताकि भुगतान प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जा सके। प्रस्तुत अध्ययन गन्ना खरीद भुगतान प्रणाली के विभिन्न घटकों का मूल्यांकन एवं विश्लेषण करने का प्रयास है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि वर्तमान भुगतान प्रणाली किस हद तक प्रभावी है, उसमें कौन-कौन सी चुनौतियाँ विद्यमान हैं तथा किन सुधारात्मक उपायों के माध्यम से इसे अधिक किसान-हितैषी और दक्ष बनाया जा सकता है। यह अध्ययन न केवल नीति-निर्माताओं और प्रशासकों के लिए उपयोगी है, बल्कि गन्ना उत्पादक किसानों के हितों की रक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है।

प्रबन्धकीय एवं उत्पाद तथा सह-उत्पाद

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लि. लखनऊ की स्थापना वर्ष 1963 में सहकारिता क्षेत्र की शीर्ष संस्था के रूप में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के गन्ना उत्पादक कृषकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए चीनी मिल क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाते हुए सहकारी चीनी मिलों को समुचित दिशा-निर्देश प्रदान किया जाना है। संघ का उद्देश्य सहकारी चीनी मिलों एवं आसवनियों के प्रभावी संचालन हेतु तकनीकी मार्गदर्शन, मिलों के आधुनिकीकरण एवं क्षमता विस्तारीकरण, उच्च उत्पादकता एवं उच्च शर्करायुक्त गन्ने की फसल का क्षेत्रफल विकास करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शन देना तथा वित्तीय, प्रबन्धकीय एवं उत्पाद तथा सह-उत्पादों के विपणन आदि सम्बन्धी कार्यों में निर्देशन व परामर्श प्रदान करना है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 24 सहकारी चीनी मिलें सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं। सहकारी चीनी मिलों की दैनिक क्षमता 66,625 टन गन्ना पेराई प्रतिदिन है। कुल 9 आसवनियाँ स्थापित हैं, जिनकी कुल अल्कोहल उत्पादन क्षमता 2,50,000 लीटर प्रतिदिन तथा एथेनाल उत्पादन क्षमता 1,90,000 लीटर प्रतिदिन है।

उत्तर प्रदेश जिसे यू.पी. के रूप में संक्षिप्त किया गया है, सिंधु-गंगा के मैदानों में स्थित है और भारत की सबसे उपजाऊ भूमि में से एक है। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न के उत्पादन में पहले स्थान पर है। यह गेहूं का सर्वोच्च उत्पादक और चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। नकदी फसलों में, गन्ना वर्ष 2015-16 में 145.39 मिलियन टन (एमटी) उत्पादन करके राज्य की सबसे अधिक उत्पादित फसल है। चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण कृषि-उद्योगों में से एक है जो 70 प्रतिशत से अधिक आबादी को रोजगार देता है। उत्तर प्रदेश को भारत के चीनी के कटोरे के रूप में जाना जाता है जिसमें गन्ना उत्पादन के तहत बड़ा क्षेत्र और बड़ी संख्या में चीनी मिलें हैं। चीनी गन्ने का प्राथमिक उत्पाद है। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में गन्ने की पेराई करने वाली 119 चालू चीनी मिलें हैं, हालांकि, राज्य में चीनी मिलों की स्थिति विकट है। चीनी मिलें पेराई अवधि के दौरान समस्याओं से निपट इस शोध पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में और वितरण को प्रस्तुत किया गया है और राज्य में चीनी मिलों के सामने आने वाली समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन की उद्देश्य

प्रस्तावित शोध अध्ययन के उद्देश्य निम्न प्रकार है-

1. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योगों की खरीद भुगतान प्रणाली का अध्ययन।
2. गन्ना खरीद भुगतान प्रणाली के घटकों का मूल्यांकन एवं विश्लेषण।

अध्ययन का महत्व

गन्ना खरीद भुगतान प्रणाली का विश्लेषणात्मक अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कृषि अर्थव्यवस्था, किसानों की आय, सहकारी व निजी चीनी मिलों की कार्यप्रणाली तथा ग्रामीण विकास से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। भारत में गन्ना एक प्रमुख नकदी फसल है और देश की चीनी उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था में इसका व्यापक योगदान है। किंतु लंबे समय से गन्ना किसानों को समय पर भुगतान न होने, भुगतान में पारदर्शिता की कमी, बकाया राशि की समस्या और मूल्य निर्धारण में असंतुलन जैसी चुनौतियाँ रही हैं। ऐसे में इस अध्ययन के माध्यम से यह समझा जा सकता है कि वर्तमान भुगतान प्रणाली कितनी प्रभावी है और इसमें कौन-कौन सी संरचनात्मक खामियाँ मौजूद हैं। इससे किसानों की आर्थिक स्थिरता तथा उनकी आजीविका पर पड़ने वाले प्रभावों का भी आकलन संभव हो सकेगा।

अनुसंधान विधि

गन्ना खरीद भुगतान प्रणाली चीनी उद्योग का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह किसानों की वित्तीय स्थिरता निर्धारित करती है और चीनी मिलों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करती है। यह प्रणाली उस संपूर्ण प्रक्रिया को संदर्भित करती है जिसके माध्यम से गन्ना उत्पादक चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति के लिए भुगतान प्राप्त करते हैं। इसमें किसान, सहकारी समितियाँ, चीनी मिलें और सरकारी नियामक प्राधिकरण सहित विभिन्न हितधारक शामिल होते हैं। इसकी संरचना इस प्रकार डिज़ाइन की गई है कि यह कृषि उत्पादन चक्रों, बाज़ार की गतिशीलता और वैधानिक दायित्वों के अनुरूप हो। आमतौर पर, यह सुनिश्चित करती है कि किसानों को वितरित गन्ने की मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर शीघ्र और उचित पारिश्रमिक मिले। इस प्रणाली में हर चरण में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के उपाय भी शामिल हैं, जिससे उत्पादकों और खरीदारों दोनों के हितों की रक्षा होती है।

गन्ना खरीद भुगतान प्रणाली के मूल में गन्ना मूल्य का निर्धारण निहित है, जो इसके सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। सरकार आमतौर पर गन्ने के लिए एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) के रूप में जाना जाता है, और कुछ राज्यों में, एक अतिरिक्त

साहित्य समीक्षा किसी विशेष विषय पर पूर्व प्रकाशित कृतियों का अवलोकन है। यह शब्द किसी पूर्ण शोध-पत्र या किसी शोध-कार्य के किसी भाग, जैसे पुस्तकें या लेख, को संदर्भित कर सकता है। किसी भी रूप में, साहित्य समीक्षा शोधकर्ता/लेखक और पाठकों को किसी विशेष विषय के बारे में मौजूदा ज्ञान की सामान्य जानकारी प्रदान करती है। एक अच्छी साहित्य समीक्षा में एक उचित शोध प्रश्न, एक उचित सैद्धांतिक ढाँचा और/या एक चुनी हुई शोध पद्धति होती है। यह वर्तमान अध्ययन को प्रासंगिक साहित्य के दायरे में स्थापित करने और पाठक को संदर्भ प्रदान करने का काम करती है। ऐसे मामलों में, समीक्षा आमतौर पर कृति की कार्यप्रणाली और परिणाम अनुभागों से पहले होती है। साहित्य समीक्षा तैयार करना अक्सर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की आवश्यकता का हिस्सा होता है, जो किसी शोध-प्रबंध, शोध-प्रबंध या जर्नल लेख की तैयारी में शामिल होता है। साहित्य समीक्षा किसी शोध प्रस्ताव या

विवरणिका (छात्र द्वारा औपचारिक रूप से शोध-प्रबंध या थीसिस शुरू करने से पहले अनुमोदित दस्तावेज़) में भी आम है।

शोध पद्धति

शोध कार्य को उसकी परिणति तक पहुँचाने के लिए विभिन्न शोध प्रविधियों का आवश्यकतानुर प्रयोग किया जायेगा। प्रस्तुत शोध विषय के अनुरूप वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक एवं अन्वेषणात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया जायेगा। प्रस्तावित शोध में वर्णनात्मक शोध के बाद अन्वेषणात्मक अनुसंधान शामिल होगा। अन्वेषणात्मक अनुसंधान का उपयोग भुगतान प्रणाली का विस्तृत अध्ययन और गहराई से विश्लेषण एवं अनुसंधान प्रश्नों और अध्ययन को विकसित करने में किया जायेगा। भुगतान प्रणाली द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों एवं मिलों पर होने वाले अध्ययन के लिए प्रश्नावली तैयार की जायेगी। प्रश्नावली को सुदृढ़ करने के लिए अन्वेषण अनुसंधान आयोजित किया जायेगा।

डेटा विश्लेषण

वर्तमान स्थिति

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गन्ना उत्पादक किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए, चीनी सीजन 2022-23 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए 10.25 प्रतिशत की मूल रिकवरी दर के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 305 रुपये प्रति क्विंटल को मंजूरी दे दी है। ससे 10.25 प्रतिशत से अधिक की रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि के लिए 3.05 रुपये/क्विंटल का प्रीमियम मिलेगा और रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की कमी के लिए 3.05 रुपये प्रति/क्विंटल की दर से उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) में कमी होगी। हालांकि, सरकार ने गन्ना उत्पादक किसानों के हितों की रक्षा के लिए यह भी निर्णय लिया है कि चीनी मिलों के मामले में कोई कटौती नहीं होगी, जहां रिकवरी 9.5 प्रतिशत से कम है। ऐसे किसानों को वर्तमान चीनी सीजन 2021-22 में 275.50 रुपये प्रति क्विंटल स्थान पर आगामी चीनी सीजन 2022-23 में गन्ने के लिए 282.125 रुपये/क्विंटल मिलेगा।

चीनी सीजन 2022-23 के लिए गन्ने के उत्पादन की A2 + FL लागत (यानी वास्तविक भुगतान की गई लागत के साथ पारिवारिक श्रम का मूल्य) 162 रुपये प्रति क्विंटल है। 10.25 प्रतिशत की भरपाई दर पर 305 रुपये प्रति क्विंटल का यह एफआरपी उत्पादन लागत से 88.3 प्रतिशत अधिक है। यह किसानों को उनकी लागत पर 50 प्रतिशत से अधिक का लाभ प्रदान करने का वादा सुनिश्चित करता है। चीनी सीजन 2022-23 के लिए एफआरपी मौजूदा चीनी सीजन 2021-22 की तुलना में 2.6 प्रतिशत अधिक है।

केंद्र सरकार की सक्रिय नीतियों के कारण, गन्ने की खेती और चीनी उद्योग पिछले 8 वर्षों में एक लंबा सफर तय कर चुके हैं और अब आत्मनिर्भरता के स्तर पर पहुंच गए हैं। यह समय पर सरकारी हस्तक्षेप और चीनी उद्योग, राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के साथ-साथ किसानों के साथ सहयोग का परिणाम है। हाल के वर्षों में चीनी क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा किए गए मुख्य उपाय:

- गन्ने के एफआरपी को गन्ने के उत्पादकों के लिए एक गारंटीकृत मूल्य सुनिश्चित करने के लिए तय किया गया है।

- सरकार ने पिछले 8 वर्षों में एफआरपी में 34 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की है।
- सरकार ने चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) की संकल्पना को भी प्रस्तुत किया है ताकि चीनी की पूर्व-मिल कीमतों में गिरावट और गन्ना बकाया के संचय को रोकने के लिए (एमएसपी शुरुआत में 29 रुपये प्रति किलोग्राम 07 जून 2018 से प्रभावी रूप से लागू करने के लिए तय किया गया; संशोधित 31 रुपये प्रति किलोग्राम 14 फरवरी 2019 से प्रभावी।
- चीनी मिलों के निर्यात की सुविधा के लिए, बफर स्टॉक को बनाए रखने के लिए, इथेनॉल उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए और किसानों के बकाया भुगतान के लिए चीनी मिलों को 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता।
- अधिशेष चीनी को इथेनॉल के उत्पादन में बदलकर चीनी मिलों की वित्तीय स्थितियों में सुधार किया। नतीजतन, वे गन्ने के बकायों का जल्दी से भुगतान करने में सक्षम हैं।
- चीनी के निर्यात और इथेनॉल के लिए डायवर्जन के कारण, चीनी क्षेत्र आत्मनिर्भर हो गया है और मिलों की तरलता में सुधार हेतु निर्यात व बफर के लिए बजटीय समर्थन करने की आवश्यकता नहीं है

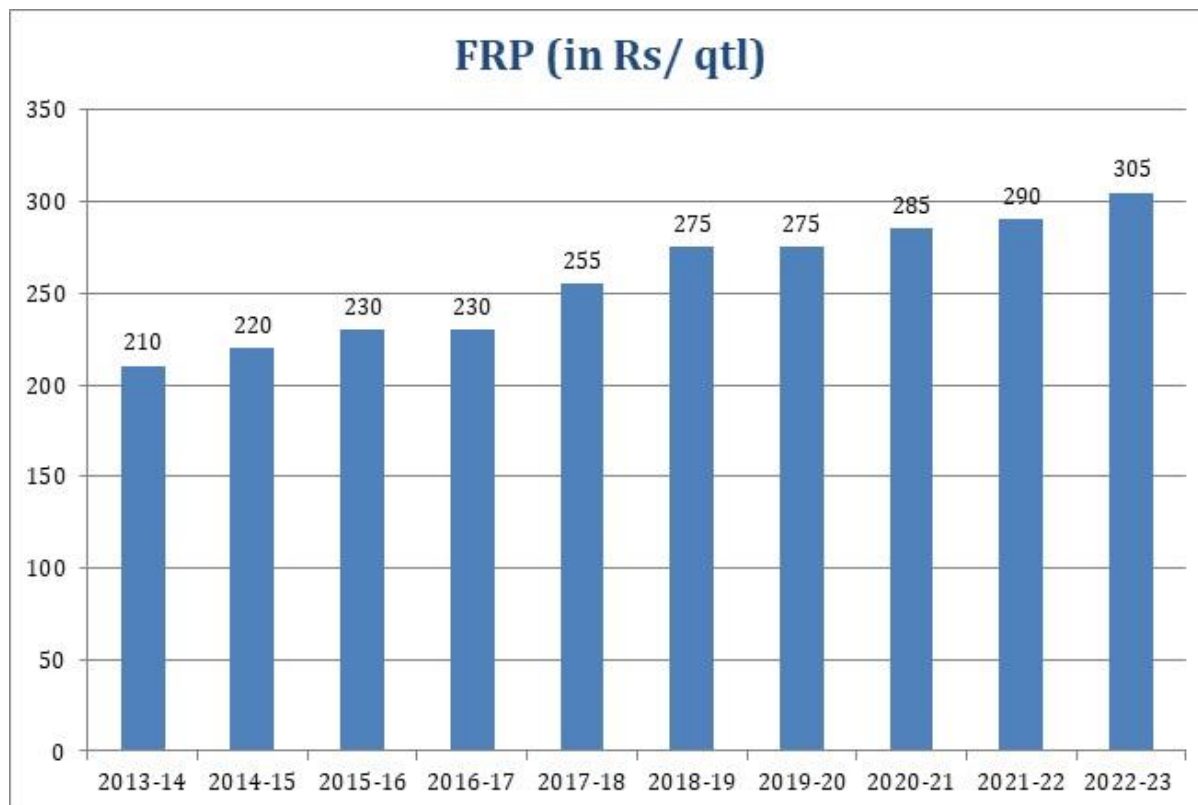
इसके अलावा, पिछले कुछ शुगर सीजनों के दौरान चीनी क्षेत्र के लिए किए गए विभिन्न अन्य उपायों के कारण, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ गन्ने की उच्च उपज देने वाली किस्मों के उपयोग की शुरुआत, ड्रिप सिंचाई प्रणाली को अपनाना, चीनी संयंत्र का आधुनिकीकरण और अन्य अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां, गन्ने की खेती का क्षेत्र, गन्ने का उत्पादन, गन्ने की तराई, चीनी उत्पादन और इसका रिकवरी प्रतिशत व किसानों को भुगतान में काफी वृद्धि शामिल है।

किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध

इस निर्णय से 5 करोड़ गन्ना उत्पादक किसानों और उनके आश्रितों के साथ-साथ चीनी मिलों और संबंधित सहायक गतिविधियों में कार्यरत 5 लाख श्रमिकों को लाभ होगा। 9 साल पहले, 2013-14 चीनी सीजन में एफआरपी सिर्फ 210 रुपये प्रति क्विंटल था और सिर्फ 2397 एलएमटी गन्ना चीनी मिलों द्वारा खरीदा गया था। किसानों को केवल गन्ने की बिक्री से चीनी मिलों से सिर्फ 51,000 करोड़ मिलते थे। हालांकि, पिछले 8 वर्षों में सरकार ने एफआरपी में 34 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की है। वर्तमान चीनी सीजन 2021-22 में, चीनी मिलों द्वारा लगभग 3,530 लाख टन गन्ना खरीदा गया जिसकी कीमत 1,15,196 करोड़ रुपये है, जो अब तक सबसे अधिक है।

आगामी चीनी सीजन 2022-23 में गन्ने के रकबे और अपेक्षित उत्पादन में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, 3,600 लाख टन से अधिक गन्ने को चीनी मिलों द्वारा खरीदे जाने की संभावना है, जिसके लिए गन्ने के किसानों को भुगतान की जाने वाली कुल रकम 1,20,000 करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है। सरकार किसान समर्थक उपायों के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगी कि गन्ने के किसानों को समय पर उनका बकाया मिले।

पिछले चीनी सीजन 2020-21 में लगभग 92,938 करोड़ रुपये का गन्ना बकाया देय था, जिसमें से 92,710 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है और केवल 228 करोड़ रुपये बकाया हैं। वर्तमान चीनी सीजन 2021-22 में 1,15,196 करोड़ रुपये में से किसानों को 1,05,322 करोड़ रुपये गन्ने के बकाया का भुगतान किया गया, 01 अगस्त 2022 तक; इस प्रकार 91.42 प्रतिशत गन्ना बकाया का भुगतान कर दिया गया है जो कि पिछले चीनी सीजनों की तुलना में अधिक है।



कमियां

भारत में गन्ना खरीद भुगतान प्रणाली किसानों के हितों की रक्षा और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई गई है, लेकिन इसके बावजूद इसमें कई कमियां मौजूद हैं। ये कमियां किसानों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती हैं और चीनी उद्योग पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। नीचे इन कमियों को विस्तार से समझाया गया है

परिणाम और चर्चा

यह अध्याय वर्तमान जाँच के निष्कर्षों से संबंधित है। यह अध्याय दो भागों में विभाजित है। पहला भाग भूमि वितरण, फसल पैटर्न, फसल गहनता और कृषि परिसंपत्ति संरचना से संबंधित है, जबकि दूसरा भाग खेती की लागत, इनपुट आउटपुट संबंध और संसाधन उपयोग दक्षता से संबंधित है।

तालिका 1. नमूना खेतों के विभिन्न आकार समूहों के अंतर्गत जोतों का औसत आकार (हेक्टेयर)

क्र. सं.	समूह खेतों का आकार	खेतों की संख्या	सकल कृषि क्षेत्र	जोतों का औसत आकार
1.	सीमांत खेत (1 हेक्टेयर से कम)	54	27.00 (23.22)	0.5
2.	छोटे खेत (1-2 हेक्टेयर)	32	41.28 (35.50)	1.29
3.	मध्यम खेत (2-4 हेक्टेयर)	14	48.00 (41.28)	3.42
	कुल	100	116.28 (100.00)	1.16*

तालिका 2. नमूना खेतों के विभिन्न आकार समूह के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र (हेक्टेयर)

क्र. सं.	खेतों के आकार समूह	खेतों की संख्या	कुल कृषि योग्य भूमि (हेक्टेयर)	सिंचित भूमि (हेक्टेयर)	असिंचित भूमि (हेक्टेयर)
1.	सीमांत खेत	54	27.00 (100.00)	27.00 (100.00)	-
2.	छोटे खेत	32	41.28 (100.00)	41.28 (100.00)	-
3.	मध्यम खेत	14	48.00 (100.00)	48.00 (100.00)	-
Total		100	116.28	116.28	

(Figure in parentheses indicate percentage to the total)

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से गन्ना खरीद भुगतान प्रणाली के विभिन्न घटकों का मूल्यांकन एवं विश्लेषण किया गया। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि गन्ना मूल्य निर्धारण, तौल एवं गुणवत्ता मापन, भुगतान माध्यम तथा समयबद्ध भुगतान जैसी प्रक्रियाएँ किसानों की आय सुरक्षा और उनके आर्थिक विश्वास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सरकार

द्वारा एफआरपी/एसएपी निर्धारण, कानूनी प्रावधानों तथा डिजिटल भुगतान प्रणालियों की शुरुआत से भुगतान व्यवस्था में पारदर्शिता और औपचारिकता अवश्य बढ़ी है। अध्ययन के निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि जहाँ एक ओर प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण और ऑनलाइन निगरानी तंत्र ने बिचौलियों की भूमिका को कम किया है, वहीं दूसरी ओर अनेक क्षेत्रों में भुगतान में विलंब, मिलों की वित्तीय अक्षमता, प्रशासनिक जटिलताएँ तथा सूचना की कमी जैसी समस्याएँ अब भी बनी हुई हैं। इसका प्रभाव विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों पर अधिक पड़ता है, जिनकी आजीविका समय पर प्राप्त भुगतान पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त, तैल और गुणवत्ता निर्धारण में पारदर्शिता की कमी तथा किसानों की सीमित जागरूकता भी भुगतान से संबंधित विवादों को जन्म देती है। अध्ययन यह भी संकेत करता है कि तकनीकी नवाचारों और डिजिटल प्रणालियों का लाभ तभी पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है, जब उनके साथ प्रभावी निगरानी, प्रशिक्षण और जवाबदेही तंत्र को सुदृढ़ किया जाए। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गन्ना खरीद भुगतान प्रणाली में सुधार की पर्याप्त संभावनाएँ विद्यमान हैं। समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करना, मूल्य निर्धारण तंत्र को अधिक व्यावहारिक बनाना, तैल एवं गुणवत्ता प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना तथा डिजिटल और संस्थागत ढाँचे को मजबूत करना अत्यावश्यक है। ऐसे सुधार न केवल किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण में सहायक होंगे, बल्कि चीनी उद्योग की स्थिरता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।

संदर्भ

1. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग। (2023)। *वार्षिक रिपोर्ट 2022-23*। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार।
2. कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी)। (2022)। *गन्ने की मूल्य नीति: 2022-23 सीज़न*। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3. भारतीय चीनी मिल संघ (आईएसएमए)। (2023)। *गन्ना बकाया और भुगतान स्थिति रिपोर्ट*। <https://www.indiansugar.com> से प्राप्त।
4. कुमार, ए., एवं सिंह, आर. (2021)। भारत में गन्ना मूल्य निर्धारण नीतियों का विश्लेषण। *जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी*, 15(2), 45–58।
5. योजना आयोग। (2013)। *12 वीं पंचवर्षीय योजना के लिए गन्ना और चीनी उद्योग पर कार्य समूह की रिपोर्ट*। भारत सरकार।

6. मिश्रा, एस., एवं शर्मा, पी. (2020)। विलंबित भुगतान और किसान संकट: गन्ना किसानों का मामला। *भारतीय ग्रामीण विकास पत्रिका*, 39(3), 413–430।
7. उत्तर प्रदेश गन्ना विकास विभाग। (2022)। *गन्ना मूल्य भुगतान और बकाया की स्थिति* उत्तर प्रदेश सरकार।
8. महाराष्ट्र राज्य सहकारी चीनी कारखाना संघ लिमिटेड। (2022)। *गन्ना भुगतान पर वार्षिक सांख्यिकीय रिपोर्ट* पुणे, महाराष्ट्र।
9. जैन, वी. (2019)। गन्ना मूल्य निर्धारण में मुद्दे: एफआरपी और एसएपी तंत्र का एक अध्ययन। *आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक*, 54(41), 32–40।
10. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। (2021)। *कृषि सांख्यिकी एक नज़र में 2021*। भारत सरकार।